International Journal of Advanced Educational Research
www.themultidisciplinaryjournal.com
ISSN: 2455-6157
Received: 13-02-2023, Accepted: 16-03-2023, Published: 31-03-2023
Volume 8, Issue 1, 2023, Page No. 46-48

सामाजिक न्याय की कसौटी पर भारतीय लोकतंत्र

डॉ. अमिता मीना
राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश
भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता का मूल्यांकन केवल चुनावों और प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज के सभी वर्गों को कितना न्याय, समान अवसर और गरिमा प्रदान करता है। सामाजिक न्याय इसी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। भारतीय संविधान ने सामाजिक न्याय को एक केंद्रीय आदर्श के रूप में स्थापित किया है, जो न केवल प्रस्तावना में बल्कि मौलिक अधिकारों, नीति–निदेशक तत्वों और विभिन्न सामाजिक–आर्थिक नीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
इस शोध–पत्र का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र का विश्लेषण सामाजिक न्याय की कसौटी पर करना है। इसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधान, डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार, स्वतंत्रता के बाद की नीतियाँ, वर्तमान चुनौतियाँ तथा सुधार के उपायों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत ने सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई संरचनात्मक और सामाजिक बाधाएँ मौजूद हैं।

मुख्य शब्द: भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, संवैधानिक प्रावधान, वंचित वर्ग, समान अवसर, सामाजिक परिवर्तन

भारतीय लोकतंत्र की स्थापना केवल एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन की परियोजना भी थी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सदियों से जाति–आधारित भेदभाव, आर्थिक असमानता, लैंगिक असमानता और सामाजिक विभाजन मौजूद रहे हैं। ऐसे समाज में लोकतंत्र की सफलता केवल मतदान या सरकार के गठन तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि इसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि यह समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को किस हद तक सशक्त बनाता है।
सामाजिक न्याय का विचार इसी संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल कानूनी समानता नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में समान अवसर और समान सम्मान सुनिश्चित करना है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव से जूझ रहा हो, तो लोकतंत्र का अस्तित्व केवल औपचारिक रह जाता है।
भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य को गहराई से समझा था, इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकें। प्रस्तावना में "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" को राष्ट्र के मूल उद्देश्य के रूप में स्थापित किया गया।
इस शोध–पत्र में यह विश्लेषण किया जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र किस हद तक सामाजिक न्याय के आदर्शों को पूरा कर पाया है और किन क्षेत्रों में अभी सुधार की आवश्यकता है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा (Concept of Social Justice)

सामाजिक न्याय एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है, जिसका अर्थ केवल समानता नहीं बल्कि न्यायपूर्ण समानता है। यह इस विचार पर आधारित है कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर, संसाधन और सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानताओं को कम करना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। यह केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में भी परिवर्तन की मांग करता है।
दार्शनिक दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय के कई सिद्धांत हैं। जॉन रॉल्स ने "न्याय का सिद्धांत" में कहा कि समाज में असमानताएँ तभी स्वीकार्य हैं जब वे सबसे कमजोर वर्ग के हित में हों। दूसरी ओर, भारतीय संदर्भ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के समन्वय के रूप में देखा। भारतीय समाज में सामाजिक न्याय का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक रूप से जाति–आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की परंपरा रही है। इसलिए सामाजिक न्याय केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक आवश्यकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था ने समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया, जो समय के साथ कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। इस व्यवस्था ने समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा, संसाधनों और सम्मान से वंचित कर दिया। मध्यकालीन भारत में भी यह व्यवस्था जारी रही, जिससे सामाजिक असमानता और गहरी हो गई। हालांकि कुछ संत और सुधारकों जैसे कबीर, रैदास और गुरु नानक ने समानता और मानवता का संदेश दिया, लेकिन व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाया।
औपनिवेशिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने गति पकड़ी। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, ज्योतिबा फुले ने शिक्षा और जाति–उन्मूलन पर जोर दिया, और महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया। सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉ. भीमराव अम्बेडकर का रहा, जिन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सामाजिक न्याय को एक राजनीतिक एजेंडा बनाया। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने भारतीय संविधान को प्रभावित किया और सामाजिक न्याय को एक केंद्रीय मूल्य के रूप में स्थापित किया।

भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय

भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का उपकरण है। संविधान की प्रस्तावना में

"सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" को राष्ट्र के मूल उद्देश्य के रूप में स्थापित किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का भी प्रयास करता है।

मौलिक अधिकारों के माध्यम से संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा, नीति–निदेशक तत्व राज्य को निर्देश देते हैं कि वह सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान वेतन जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया है। आरक्षण नीति भी सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को अवसर प्रदान करता है। हालांकि इस नीति पर कई बहसें होती रही हैं, लेकिन यह सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा प्रवक्ता माना जाता है। उन्होंने सामाजिक न्याय को केवल एक सिद्धांत के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक व्यावहारिक लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। अम्बेडकर का मानना था कि भारत में सामाजिक असमानता का मुख्य कारण जाति व्यवस्था है। उन्होंने इसे समाप्त करने के लिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मार्ग अपनाया। उनकी प्रसिद्ध कृति "Annihilation of Caste" में उन्होंने जाति व्यवस्था की कठोर आलोचना की और इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वंचित वर्गों को समान अधिकार और अवसर मिलें। उन्होंने आरक्षण नीति का समर्थन किया और इसे सामाजिक न्याय का एक आवश्यक साधन बताया। अम्बेडकर ने यह भी कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो। उनके अनुसार, यदि समाज में असमानता बनी रहती है, तो लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। उनका योगदान आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए मार्गदर्शक है।

भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की उपलब्धियाँ (Achievements of Social Justice in Indian Democracy)

भारतीय लोकतंत्र ने सामाजिक न्याय की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि सार्वभौमिक मताधिकार (Universal Adult Franchise) का प्रावधान है, जिसके तहत हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। इससे समाज के हर वर्ग को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिला। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इससे सत्ता केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित नहीं रही।

दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि आरक्षण नीति है, जिसने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शिक्षा और रोजगार में अवसर प्रदान किए। इससे इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आज इन वर्गों के लोग प्रशासन, शिक्षा और राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने से उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।

सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ जैसे मनरेगा, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना आदि ने गरीब और वंचित वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इन योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है और गरीबी को कम करने में मदद की है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद यह भी सच है कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया अभी अधूरी है और इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है।

सामाजिक न्याय के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges to Social Justice)

भारतीय लोकतंत्र ने सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति तो की है, लेकिन अभी भी कई गंभीर चुनौतियाँ मौजूद हैं जो इसके मार्ग में बाधा बनती हैं। सबसे प्रमुख चुनौती जातिगत असमानता है। संविधान द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किए जाने के बावजूद समाज में आज भी जाति आधारित भेदभाव देखने को मिलता है। दलितों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि सामाजिक न्याय अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है।

आर्थिक असमानता भी एक बड़ी समस्या है। भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। एक ओर कुछ लोगों के पास अपार संपत्ति है, जबकि दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह असमानता सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। लैंगिक असमानता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में अभी भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा, वेतन में असमानता और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएँ आज भी मौजूद हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता भी सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। गरीब वर्ग के लोग अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। न्यायिक प्रणाली की धीमी गति भी एक गंभीर समस्या है। मामलों के निपटारे में देरी के कारण गरीब और कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिल पाता, जिससे सामाजिक न्याय की अवधारणा कमजोर होती है।

समकालीन परिप्रेक्ष्य (Contemporary Perspective)

वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा है। सरकार ने कई नई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की हैं, जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। डिजिटल क्रांति ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई संभावनाएँ पैदा की हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है। इससे गरीब और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इससे आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, पेंशन योजनाएँ और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों ने गरीब वर्गों को सुरक्षा प्रदान की है। ये योजनाएँ सामाजिक न्याय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। योजनाओं का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता, और कई बार भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता के कारण उनका

प्रभाव सीमित रह जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त किया जा सके।

सामाजिक न्याय और लोकतंत्र का संबंध (Relationship between Social Justice and Democracy)

सामाजिक न्याय और लोकतंत्र एक–दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य केवल शासन की व्यवस्था स्थापित करना नहीं बल्कि समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। यदि लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का अभाव हो, तो वह केवल एक औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश में चुनाव तो होते हैं लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर नहीं मिलते, तो उस लोकतंत्र की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

सामाजिक न्याय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देता है। इससे लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ता है और वे सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं। इसके विपरीत, यदि सामाजिक असमानता अधिक हो, तो समाज में असंतोष बढ़ता है और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक अधिकारों तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भी सुनिश्चित करे। भारतीय संदर्भ में यह संबंध और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ विविधता और असमानता दोनों ही बहुत अधिक हैं। इसलिए सामाजिक न्याय के बिना भारतीय लोकतंत्र की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती।

सुधार के उपाय (Suggestions for Improvement)

सामाजिक न्याय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

सबसे पहले, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुँचाना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। शिक्षा ही वह माध्यम है जो सामाजिक असमानता को समाप्त कर सकता है।

दूसरा, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। सरकार को ऐसे उद्योगों और योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें।

तीसरा, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। जाति और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए।

चौथा, न्यायिक प्रणाली में सुधार करना होगा। मामलों के निपटारे में तेजी लानी होगी ताकि सभी को समय पर न्याय मिल सके।

पाँचवाँ, तकनीक का उपयोग बढ़ाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।

अंततः, सरकार और समाज दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। केवल नीतियाँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी कार्यान्वयन भी आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र ने सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। संविधान ने एक मजबूत आधार प्रदान किया है, लेकिन वास्तविकता में अभी भी कई असमानताएँ मौजूद हैं। सामाजिक न्याय केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यदि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा।

इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार, न्यायपालिका और समाज सभी मिलकर सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए प्रयास करें। शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अंततः, यह कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा है, और एक सशक्त लोकतंत्र के लिए सामाजिक न्याय का होना अनिवार्य है।

संदर्भ सूची

1. भीमराव रामजी अंबेडकर (2014). जाति का विनाश. नई दिल्ली: गौतम बुक सेंटर।
2. भीमराव रामजी अंबेडकर (2015). भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
3. राम मनोहर लोहिया (2016). सामाजिक न्याय के सिद्धांत. नई दिल्ली: लोकभारती प्रकाशन।
4. राजनी कोठारी (2017). भारतीय लोकतंत्र का विश्लेषण. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
5. जैन, बी. एम. (2018). भारतीय राजनीतिक चिंतन. नई दिल्ली: पीयरसन।
6. शर्मा, आर. के. (2019). भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय. जयपुर: रावत पब्लिकेशन।
7. गुप्ता, रमेश (2020). समकालीन भारतीय राजनीति. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
8. सिंह, अजय (2018). भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
9. कुमार, विकास (2021). सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान. नई दिल्ली: दीप एंड दीप प्रकाशन।
10. मिश्रा, एस. सी. (2017). भारतीय राजनीति का विकास. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
11. चौधरी, कुसुम (2019). समकालीन विश्व राजनीति. जयपुर: रावत पब्लिकेशन।
12. तिवारी, संजीव (2018). अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत. भोपालरू हिंदी ग्रंथ अकादमी।
13. वर्मा, अनिल (2020). भारतीय शासन और राजनीति. नई दिल्ली: सैज प्रकाशन।
14. जोशी, राजेश (2021). भारतीय लोकतंत्र का समालोचनात्मक अध्ययन. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
15. पांडेय, राजेश (2019). भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था. नई दिल्ली: दीप एंड दीप प्रकाशन।